WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082023-248028
CG-DL-E-11082023-248028

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3450] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 11, 2023/श्रावण 20, 1945
No. 3450] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 11 , 2023/SHRAVANA 20, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2023

का.आ. 3604(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) और धारा 17 के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को घरेलू उपयोग के लिए वुड बेस्ड बोर्ड्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छ: माह की अवधि के बाद प्रभावी होगा:

(3) बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथा परिभाषित लघु उद्यमों के लिए यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि के बाद प्रभावी होगा।

(4) बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथा परिभाषित सूक्ष्म उद्यमों के लिए यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अवधि के बाद प्रभावी होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग –(1) नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तद्नुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण–उक्त ब्यूरो तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी–इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	**भारतीय मानक**	**भारतीय मानक का शीर्षक**
(1)	**(2)**	**(3)**
वुड बेस्ड बोर्ड्स	1659:2004	ब्लॉक बोर्ड्स
	12823:2015	लकडी और अन्य लिग्नोसेल्यूलोसिक सामग्री से बने प्रिलैमिनेटेड पार्टिकल बोर्ड्स
	3087:2005	सामान्य प्रयोजन के लिए लकडी और अन्य लिग्नोसेल्यूलोसिक सामग्री (मध्यम घनत्व के) पार्टिकल बोर्ड्स
	12406:2021	सामान्य प्रयोजन के लिए मध्यम घनत्व के फाइबर बोर्ड्स
	3097:2006	विनियर्ड पार्टिकल बोर्ड्स

नोट : इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. पी-14031/21/2023-CI]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 10th August, 2023

S.O. 3604(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title and commencement.–**(1) This Order may be called the Wood Based Boards (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force with effect from six months from the date of notification.

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(3) Provided that for Small Enterprises as defined under the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force with effect from nine months from the date of publication of this notification.

(4) Provided that for Micro Enterprises as defined under the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force with effect from twelve months from the date of publication of this notification.

2. **Compulsory use of Standard Mark.–**Goods or articles specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export.

3. **Certification and enforcement authority. –**The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (1) of the said Table.

4. **Penalty for contravention. –**Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	**Indian Standard**	**Title of Indian Standard**
(1)	**(2)**	**(3)**
Wood Based Boards	1659:2004	Block boards
	12823:2015	Prelaminated particle boards from wood and other Lignocellulosic material
	3087:2005	Particle boards of wood and other lignocellulosic materials (medium density) for general purposes
	12406:2021	Medium density fibre boards for general purpose
	3097:2006	Veneered particle boards

Note : For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification.

[F. No. P-14031/21/2023-CI]

SANJIV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.